Panchayat
General Elections 2015

FAX/EMAIL

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
"NIRVACHAN SADAN", PLOT NO. 2, SECTOR – 17
PANCHKULA 134 109

No.SEC/4E-II/2015/ 9065 Dated:11.09.2015

To

All the Deputy Commissioners-cum-
District Election Officers (Panchayat),
in the State of Haryana.

Subject :- **Amendment in Section 175 of the Haryana Panchayati Raj Act,1994.**

Sir/Madam,

I am directed to refer on the subject cited above and to say that as you are well aware that the Government of Haryana has inserted some new clauses by amending Section 175 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 which pertains to the disqualifications of the contesting or elected candidates. The newly inserted clauses in Section 175 are- (aa) after clause (a) and (t), (u), (v) & (w) after clause (s). The newly inserted clauses in the abovesaid section are reproduced as under:-

In Section 175 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, -

I. after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :-

"(aa) has not been convicted, but charges have been framed in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years; or";

II. after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely :-

"(t) fails to pay any arrears of any kind due to him to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank; or

(u) fails to pay arrears of electricity bills; or

(v) has not passed matriculation examination or its equivalent examination from any recognized institution/board:

Provided that in case of a woman candidate or a candidate belonging to Schedule Caste, the minimum qualification shall be middle pass:

Provided further that in case of a woman candidate belonging to Schedule Cast contesting election for the post of Panch, the minimum qualification shall be 5th pass; or

(w) fails to submit self declaration to the effect that he has a functional toilet at his place of residence."

2. In view of above, declaration/affidavit from all the contesting candidates is required in addition to the nomination forms already supplied. The specimen of declaration/affidavit has been prepared by the Commission and is attached herewith, with the following directions:

1. Print or Photostat sufficient number of copies of the declaration form and attach the same with each nomination form already supplied to you.

2. Newly inserted disqualifications be brought to the notice of all R.Os and A.R.Os with the directions to obtain declaration on the abovesaid points from the contesting candidates alongwith nomination paper in the declaration attached herewith.

3. The R.Os/A.R.Os be also directed to obtain the copies of the following documents/certificates from the contesting candidates in support of their declaration referred to above:

   i) No Due Certificate (NDC) from the concerned Power Utility.

   ii) No Due Certificate (s) from the Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank.

   iii) Educational Qualification Certificate issued by the concerned Institution/Board should be attested from any Gazetted Officer.

Yours faithfully

Parmal Singh

(Parmal Singh)
Asstt. State Election Commissioner, Haryana
Email : asec.sec@hry.nic.in

1/9/2015

D:\01 Dogradesk\Geleral Election, 2015\All DCs-NDC reg..doc

[...(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) के वार्ड संख्या .... ब्लाक .... जिला .... के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र और प्रपत्र 4–क सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।]

शपथ पत्र/घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु .... वर्ष .... (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

1. मैं .... (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र उम्मीद्वार के रूप में लड़ रहा/रही हूँ।

2. मेरा नाम .... ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद में वार्ड संख्या .... के कम संख्या .... पर है।

3. मेरा सम्पर्क/टेलीफोन नम्बर .... है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो) .... है।

4. यह कि मैंने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की (अधिनियम 8/2015 द्वारा संशोधित) धारा 175 में यथा अधिकथित के अधीन प्राप्त निम्न अयोग्यता नहीं की है :–

(क) मैं किसी अपराधिक मामले में कारावास, जो दस वर्ष से कम न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ और न ही आरोप लगाए गए।

(ख) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाईटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर किसी प्रकार के देय के किन्ही बकायों का भुगतान करने असफल नहीं रहा हूँ; कथित संस्था (संस्थाओं) से आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ग) मैं बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ; सम्बन्धित बिद्युत उपयोग का आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) मैंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैंने आठवीं कक्षा पास की है।

(किसी महिला उम्मीदवार या असूचित जाति से सम्बन्धित किसी उम्मीदवार की दशा में)

या

मैंने पांचवी कक्षा पास की है।

(पंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ रही अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में)

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित सम्बंधित संस्था/बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है)

(ङ) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

अभिसाक्षी

....

टिप्पण: 1 शपथ पत्र/घोषणा, नामांकन भरने के अंतिम दिन को 3 बजे से पहले तक फाईल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2 पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सदस्य के चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वार के मामले में जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हो) के सम्मुख शपथ-पत्र पर प्रस्तुत की जायेगी।

टिप्पण: 3 ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वार के मामले में, सूचना सादे कागज़ पर तैयार करके देनी होगी।

टिप्पण: 4 सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं होता जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 5 शपथ पत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठ्य तथा साफ-साफ लिखी होनी चाहिए।